न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–60/2017 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :–2017/00229

उनवान

1. टुण्डा
2. ढालू
3. पप्पू
4. कंचन

} पुत्रगण रामस्वरूप जाति नाई नि0 सरकना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

....................अपीलाण्ट

बनाम

1. रामबेटी पत्नी नारायन सिंह जाति त्यागी निवासी सरकना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. सुनीता पत्नी रामबाबू
3. रामबाबू पुत्र नेकराम
4. लाखन सिंह पुत्र नेकराम
5. सर्वेश पत्नी लाखन सिंह
6. बबली पत्नी राजकुमार
7. राजकुमार पुत्र नेकराम
8. पिंकी पत्नी टुण्डाराम
9. निहाल सिंह पुत्र रामस्वरूप
10. मिथलेश पत्नी निहाल सिंह
11. केदार पुत्र नत्थी
12. नत्थी पुत्र शिवचरल
13. लक्ष्मन पुत्र बलभद्र

} (2–13) समस्त जातिगण नाई निवासी सरकना तह0 सैपऊ जिला धौलपुर।

14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसई नवाब जरिये प्रबन्धक।
15. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।

......................रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ दिनांक 14.07.2017 प्र0स0 क्रमशः 90/2016 उनवान रामबेटी बनाम रामबाबू।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री भगवती प्रसाद झॉ उपस्थित।
2. अधिवक्ता रैस्पो0 श्री योगेश शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 11.09.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट, एक वाद वास्ते बॅटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा, वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सरकना तहसील सैपऊ बाबत् प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 05.07.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर, तहसीलदार सैपऊ से विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायाालय की पत्रावली प्राप्त होने से पूर्व, उभयपक्ष ने जरिये अभिभाषक दिनांक 11.09.2018 को अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना जाहिर करते हुए, अपीलाधीन निर्णय डिक्री को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है, अतः अपीलाधीन वाद के पूर्ण तथ्य ज्ञात नही हो पा रहे हैं। किन्तु पत्रावली में संलग्न कुर्रे प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये हैं, जबकि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार को ही बनाने थे। इसके अलावा उपविभाजित भूमि(बटा नम्बरों) को पृथक–पृथक रंगो में नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना किया जाना स्पष्ट नहीं है। आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन हेतु प्रस्तावो का, तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण व जोतों के विभाजन हेतु प्रपोजल तैयार करना आवश्यक है। इसके अलावा दिनांक 11.09.2018 को वक्त बहस अभिभाषक उभयपक्ष ने हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना बताते हुए, अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय डिक्री निरस्त करने की प्रार्थना की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नही हो पाई है, हमारा मत है कि पक्षकार अपील में प्रस्तुत किये जा रहे कथित राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत करें। एवं अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को सुनकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के सन्दर्भ में राजीनामा का मूल्यांकन कर विभाजन प्रस्तावों के नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कायम कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 निरस्त किये जाकर, प्रकरण मुताबिक राजीनामा, पुनः सुनवाई की जाकर विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.10.2018 को उपस्थित होवें।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर